

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०- 49/2016- 662 /क०, पटना, दिनांक 13-02-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रुपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रुपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन तत्काल शत प्रतिशत राज्यांश मद में 357.00 लाख (तीन करोड़ सतावन लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-331 दिनांक 27.01.2017 के प्रसंग में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रुपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रुपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन शत प्रतिशत राज्यांश मद में 357.00 लाख (तीन करोड़ सतावन लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्यादेश संख्या-331 दिनांक 27.01.2017 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त राज्यादेश की अनुसूची-3 के अधीन मात्र केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश की निकासी आवंटन आदेश के आलोक में की जाएगी।

3. शत प्रतिशत राज्यांश मद में स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न अनुसूची-1 के अनुरूप की जायेगी। बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है, स्वीकृत राशि की निकासी निम्न तालिका के अनुसार कॉलम-4 के अनुसार की जायेगी। (राशि लाख रू० में)


बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	पूर्व में निकासी हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान में निकासी हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4
राज्यांश			
मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष-0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401001090317 पी०एफ०एम०एस० कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।	3230.76	854.48	296.31
मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0336-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401007890336 पी०एफ०एम०एस० कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।	828.40	160.85	57.12
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0360-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007960360 पी०एफ०एम०एस० कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा।	82.84	9.22	3.57
कुल	4142.00	1024.55	357.00

4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-49/2016 के पृ०सं०-44/टि. पर दिनांक .17.01.2017 को प्राप्त है।

5. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-49/2016 के पृ०सं०-51/टि. पर दिनांक-10.02.2017 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



10.2.2017
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 662 /कृ०, पटना, दिनांक 13-02-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




10.2.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 662 /क०, पटना, दिनांक 13-02-2017
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amr
10.2.17

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 662 /क०, पटना, दिनांक 13-02-2017
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

Amr
10.2.17

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 662 /क०, पटना, दिनांक 13-02-2017
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान
आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति,
पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं
योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Amr
10.2.17

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Prasanna

अनुसूची-1

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब-मिशन
ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 2016-17 के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद में
स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से संबंधित विवरणी

राशि (लाख रूपये में)				
क्र० स०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	बामेती भवन के सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु राज्य योजना मद की राशि	राज्य योजना में स्वीकृत पद के विरुद्ध मानदेय भुगतान	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	55.00	2.19	नया सचिवालय, विकास भवन, पटना
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण		52.67	जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण
3	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी		24.60	जिला कोषागार, सीतामढ़ी
4	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद		2.64	जिला कोषागार, जहानाबाद
5	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर		35.14	जिला कोषागार, मुंगेर
6	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई		56.22	जिला कोषागार, जमुई
7	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर		33.38	जिला कोषागार, समस्तीपुर
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया		45.97	जिला कोषागार, गया
9	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद		19.33	जिला कोषागार, औरंगाबाद
10	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल		28.99	जिला कोषागार, सुपौल
11	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी		0.83	जिला कोषागार, मधुबनी
	कुल	55.00	302.00	

Pipatti